०८७७
18/2/2026

संख्या–37/211 /XXX(2)/2025-E 61441

प्रेषक,

गिरधारी सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–02 देहरादून, दिनांक/7 फरवरी, 2026

विषयः राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगों को समूह क, ख, ग तथा घ के पदों में पदोन्नति हेतु अनुमन्य आरक्षण के अनुक्रम में निर्धारित रोस्टर का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 193548/XXX(2)/2024-E 61441 दिनांक 26.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसितों व्यक्तियों के आरक्षण, पदों के चिन्हांकन, गणना, रोस्टर आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– विभिन्न स्तरों से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा पदोन्नति के समय दिव्यांगजनों हेतु अनुमन्य आरक्षण के क्रम में निर्धारित रोस्टर का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्यवाही के उपरांत अगले चयन वर्ष में रोस्टर को आगे न बढ़ाते हुए पुनः क्रमांक 01 से प्रारम्भ करते हुए उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है, जिससे कि दिव्यांगजनों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

3– कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.02.2024 के प्रस्तर–8 में यह उल्लिखित है कि *जिन संवर्गों में दिव्यांजन को पदोन्नति हेतु निर्धारित 04 प्रतिशत आरक्षण है, वहां समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना, अधिष्ठान में समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी।* साथ ही प्रस्तर–09 में आरक्षण लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर तैयार करते हुए रोस्टर के क्रमांक 1, 26, 51 तथा 76 को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित/चिन्हित किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारित है। साथ ही बिन्दु सं. 9(च) में यह भी प्राविधान है कि रोस्टर के सभी 100 बिन्दु पूरे होने के पश्चात् 100 बिन्दुओं का एक नया चक्र शुरू होगा।

4– अतः कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 193548/XXX(2)/2024-E 61441 दिनांक 26.02.2024 में विहित व्यवस्था के आलोक में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संवर्ग में समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' के पदों पर पदोन्नति के समय दिव्यांगजनों हेतु अनुमन्य 04 प्रतिशत आरक्षण एवं तदनुसार निर्धारित रोस्टर के कम में किसी चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष नियमानुसार सम्पन्न पदोन्नति की कार्यवाही के उपरांत आगामी चयन वर्ष में सम्बन्धित रोस्टर को अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाते हुए उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष यथाप्रकिया पदोन्नति की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

उक्त का संज्ञान लेते हुए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.02.2024 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

Digitally signed by
Girdhari Singh Rawat
Date: 16-02-2026
12:26:11

(गिरधारी सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या–37/211 /XXX(2)/2025-E 61441 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

जसविन्दर कौर

(जसविन्दर कौर)
उप सचिव।